न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, हाथरस।

उपस्थित : श्री विशेष शर्मा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1091/2018

गजेन्द्र सिंह उर्फ भोला पहलवान प्रति उ0 प्र0 राज्य

अन्तर्गत धारा– 380 भा0द0सं0
मुकदमा अपराध संख्या–313/2018
थाना– मुरसान, जिला हाथरस।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गजेन्द्र सिंह उर्फ भोला पहलवान द्वारा मु0अ0सं0 313/2018 अन्तर्गत धारा 380 भा0द0सं0, थाना मुरसान, जनपद हाथरस के अभियोग में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 22.05.2018 की दर्शायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.07.2018 को विलम्ब से लिखायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त अपराध में नामित नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में है, अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, उससे कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है, सहअभियुक्त किशनवीर सिंह का बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है जिसमें उसने प्रार्थी/अभियुक्त का झूँठा नाम लिया है। यह भी तर्क दिया है कि वादी मुकदमा के रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह ने प्रार्थी/अभियुक्त के गोली मारी थी तथा वादी मुकदमा ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह से साज कर यह झूँठी रिपोर्ट लिखायी है, सहअभियुक्त शेखर उर्फ मोनी एवं कृष्णवीर सिंह की जमानत, जिनकी छायाप्रतियॉ क्रमशः 10ख/2 व 10ख/4 दाखिल की गयी है, से स्वीकार हो चुकी हैं, अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.09.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है, तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क किया है कि दिनांक 22.05.2018 की रात्रि में वादी के घर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी की गयी, जिसमें वादी का मोबाइल ढूढ़ने पर घर में नहीं मिला बल्कि एक व्यक्ति सचिन से बरामद हुआ, दिनांक 24.06.2018 को वादी के लड़के के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आने वाले थे, तब वादी के द्वारा अपनी पिस्तौल को बक्से में देखा गया लेकिन वह नहीं मिली, तत्पश्चात् दिनांक 05.07.2018 को वादी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, दिनांक 19.07.2018 को सहअभियुक्तगण शेखर उर्फ मौनी व कृष्णवीर को पुलिस पार्टी के द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से वादी की लाईसेन्सी पिस्तौल व कारतूस बरामद हुये, सहअभियुक्तगण द्वारा अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त का भी घटना में शामिल होना बताया है, तदनुसार जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता श्री यज्ञदत्त गौतम तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

चोरी की घटना तहरीर के अनुसार दिनांक 22.05.2018 की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.07.2018 को अज्ञात में लिखायी गयी है, तहरीर के अनुसार वादी की पिस्तौल चोरी होने की जानकारी वादी को दिनांक 24.06.2018 को हो गयी इसके बावजूद भी उसके द्वारा 05.07.2018 तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी, विलम्ब से रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि वादी ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह जिसपर प्रार्थी/अभियुक्त को गोली मारने का मुकदमा चल रहा है, से मिलकर झूँठा अभियोग पंजीकृत कराया है, अभियुक्त दिनांक 14.09.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है, उससे कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। सहअभियुक्त शेखर व कृष्णवीर की जमानत हो चुकी है।

मामले के उपरोक्त समस्त किये गये तर्को, तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **गजेन्द्र सिंह उर्फ भोला पहलवान** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू संबन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, उसे निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जाये –

1. अभियुक्त व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थायी व वर्तमान पते अंकित करेंगे, यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तित करता है तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देंगे।
2. अभियुक्त व प्रतिभू अपने आधार–कार्ड की छायाप्रति संलग्न करेंगे।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 उपधारा–3 अध्याय–33 द0प्र0सं0 में उल्लिखित बन्ध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा –

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बन्ध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा,

4. प्रार्थी/अभियुक्त फार्म–45 अन्तर्गत धारा 437ए द0प्र0सं0 में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार बन्ध पत्र दाखिल करेगा–
   ''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।''
5. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा,
6. प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक बन्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई गवाह हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतन्त्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित करे।

दिनांकः 17.09.2018

(विशेष शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
हाथरस।